अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(ग)(   )नियम / डीएलबी / 18 / 14739   दिनांक 03/07/18

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिकाऐं,
समस्त राजस्थान।

विषयः—नगरीय निकायों द्वारा पकडे गये आवारा पशुओं की सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।

प्रसंगः—विभागीय परिपत्र दिनांक 21.07.17, 02.11.17, 24.05.18 एवं 28.06.18।

....

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्रों द्वारा आपको निकाय क्षेत्र में अनियन्त्रित व आवारा पशुओं को पकडने एवं उन्हें शहरी क्षेत्र से हटाने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे किन्तु कार्य प्रगति से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है।

इस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि पिछले तीन माह में आपकी नगरीय निकाय द्वारा कुल कितने आवारा पशुओं को पकड़ा गया है, इस संबंध में की गई कार्यवाही की माहवार सूचना इस विभाग के ई—मेल (dlbalrsection@gmail.com) पर 3 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8(ग)(   )नियम / डीएलबी / 18 / 14740 – 14980 दिनांक 03/07/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
03. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद् / पालिकायें समस्त राज0।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार की नगरीय निकायों से उक्त सूचना संकलित कर 3 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
05. प्रोगामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
06. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\DLB\RATNU JI\LETTER 2017.DOCX